

New

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 375]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 587(अ).—संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 9-4-2003 के का.आ. 439(अ) के अधिक्रमण में तथा कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 (1994 का 6) की धारा 31 की उप-धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान चेन्नई में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई (निदेशक) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) से सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान से होंगे, जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

21

19

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' (अनुसूचिबिध)	37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 8900 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शिक्षा और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिक्षा/प्रतिनियुक्ति की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रतिनियुक्ति : (संविदा सहित)

टिप्पण 1 : इस नियुक्ति के ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति जो संवर्ग बाह्य पद पर इसी विभाग या दूसरे संगठन या केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग में की जाएगी, सामान्यतः उसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए अधिकतम आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र सेना के ऐसे कामिक जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या जिनको एक वर्ष के अंदर ही रिजर्व के लिए स्थानांतरित किया जाना है और उनके पास वांछित अनुभव और योग्यताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि, उस समय तक दी जाएगी, जब तक उनको सशस्त्र सेना से हटने का समय नहीं आ जाता है, उसके पश्चात् उनके पुनर्नियोजित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त निकायों, सांविधिक संगठनों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत ऐसे अधिकारी:

(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रुपये के वेतनमान या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; अथवा

(iii) 8700 रुपये ग्रेड वेतन सहित 37400-67000 रुपये के वेतनमान तथा 7600 के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपये के वेतनमान में या समतुल्य वेतनमान में सम्मिलित रूप से आठ वर्ष की सेवा नियमित आधार पर की हो।

(ख) किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा नामतः तेलगु, तमिल, कन्नड, या मलयालम का ज्ञान।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति पर कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होगी। इस अवधि को, केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति द्वारा संतोषप्रद-निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, 2 वर्ष या उस लक्ष्यार्थी के अपने मूल संवर्ग में उसकी सेवा-निवृत्ति के समय तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है।

32

(12)

संविदा के आधार पर : शैक्षिक अर्हताएं —

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक,

(ख) भारतीय संस्कृति अर्थात्—नृत्य, संगीत, रंगमंच, साहित्य आदि के शास्त्रीय या पारंपरिक कला के किसी भी रूप के क्षेत्र के योग्य, प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति ।

(ग) किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा, नामतः :—

तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम का ज्ञान ।

टिप्पण 1 : संविदा के आधार पर नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी तथा संतोषप्रद कार्य-निष्पादन के अध्याधीन और अधिकतम 65 वर्ष की आयु-सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामले में, पदधारी की सेवा की निबंधन और शर्तें, सदुश पद धारण करने वाले केन्द्र सरकार के समूह 'क' अधिकारी के अनुरूप होंगी ।

सर्वे विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

निदेशक का चयन खोज समिति पद्धति द्वारा किया जाएगा ।

लामू नहीं होता ।

खोज समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | |
|--|----------|
| (i) प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड का अध्यक्ष | —अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, संस्कृति मंत्रालय | —सदस्य |
| (iii) शासी बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला एक विशेषज्ञ | —सदस्य |
| (iv) संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला एक विशेषज्ञ | —सदस्य |

[फा. सं. 11-5/2011-अकादमी]

डॉ. वेणु जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2012

G.S.R. 587(E).—In supersession of Ministry of Culture S.O. 439 (E), dated 9-4-2003 and in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 31 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Kalakshetra Foundation, Chennai, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Kalakshetra Foundation, Chennai, (Director) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

17
25

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection/non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1 * (2012) *Subject to variation dependent on workload.	Group "A" (Non-Ministerial)	Rs. 37400-67000 Plus Grade Pay Rs. 8900	Not applicable	Not applicable
Age-limit of direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation/deputations, if any		
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)			(12)		

Deputation : (including contract)
Note 1.—Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of

Deputation :
(a) Officers of Central Government or State Governments, Union Territories, Autonomous bodies, Statutory organizations or recognized research institutions.

29 16

(11)	(12)
the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) two years' regular service in the scale of pay of Rs. 37400-67000 plus Grade pay Rs. 3700 or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) eight years' combined regular service in the scale of pay of Rs. 37400-67000 plus Grade pay of Rs. 3700 and Rs. 15600-3910 plus Grade pay of Rs. 7600 or equivalent.
Note 1. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	(b) Knowledge of any South Indian Language namely Telugu, Tamil, Kannada or Malayalam.
For Ex-servicemen :	Note. —The term for appointment on deputation shall be for a period of 3 years. The term may be extended, subject to satisfactory performance to be reviewed by a Committee constituted by the Central Government, for a period not exceeding 2 years of the date of retirement of such an incumbent in his parent cadre whichever is earlier.
Deputation or re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputations terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.	On Contract basis :
	Educational Qualifications :—
	(a) Graduate in any discipline from a recognized University or equivalent,
	(b) Persons of ability, standing and experience in the field of classical or traditional art form of Indian Culture viz., Dance, Music, Theatre, Literature, etc.
	(c) Knowledge of any South Indian Language namely Telugu, Tamil, Kannada or Malayalam.
	Note 1. —Appointment on Contract basis shall be for a period of three years and may be extended subject to satisfactory performance and maximum age-limit of sixty five years.
	Note 2. —The maximum age-limit for appointment on contract shall not exceed sixty two years.
	Note 3. —In case of appointment on contract basis, the terms and conditions of service of the incumbent of the post shall be as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government holding analogous post.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(13)	(14)
The Director shall be selected by a Search Committee procedure.	Not applicable
The Search Committee shall consist of—	
1. Chairman of the Governing Board of the Foundation	—Chairman
2. Secretary, Ministry of Culture	—Member
3. An expert to be nominated by the Governing Board	—Member
4. An expert to be nominated by the Ministry of Culture	—Member

[F. No. 11-5/2011-Akademies]

Dr. VENU V, Jt. Secy.

27676/E/12-2